प्रेस नोट
दिनांकः 21.11.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.10.2026 की रात्रि वादी भोला पाण्डेय अपने भांजे सूरज मिश्रा एवं शिवम पाण्डेय के साथ मोटरसाइकिल से मसकनवा-गौरा रोड पर ग्राम मदनापुर के सामने गोण्डा जाने के लिए रुके हुए थे। इसी दौरान चार पहिया वाहन से आए अभिषेक राणा, विशाल वर्मा एवं उनके अन्य साथियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के साथ गाली-गलौज एवं विवाद किया गया। विवाद बढ़ने पर अभिषेक राणा द्वारा जान से मारने की नीयत से तमंचे से कई राउंड फायरिंग की गई, जिससे वादी भोला पाण्डेय के दाहिने हाथ की अंगुली एवं पीठ में गोली लगने से चोटें आईं। घटना के संबंध में थाना छपिया पर मु0अ0सं0-376/2026 धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना छपिया पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 20.11.2026 को उपनिरीक्षक अभिनव भरत सिंह व उपनिरीक्षक अक्षय कुमार चौधरी मय पुलिस टीम क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल वर्मा जनपद बस्ती के छावनी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर छावनी टोल बूथ से लगभग 200 मीटर पहले अयोध्या की तरफ सड़क किनारे पैदल जा रहे अभियुक्त को घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने साथी अभिषेक राणा एवं अन्य लोगों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर भोला पाण्डेय से विवाद तथा अभिषेक राणा द्वारा तमंचे से फायरिंग किए जाने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यावाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विशाल वर्मा पुत्र रामजी वर्मा निवासी ग्राम ढढौवा मेहनिया, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0-376/2026 धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0- 445/2025 धारा 115(2)/126(2) बीएनएस थाना छपिया गोण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनव भरत सिंह, थाना छपिया।
2. उ0नि0 अक्षय कुमार चौधरी, थाना छपिया।
3. हे0का0 अरविन्द कुमार, थाना छपिया।
4. का0 अवनीश यादव, थाना छपिया।
5. का0 दीपक यादव, थाना छपिया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक:-21.11.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ₹75,000/- की धोखाधड़ी कर कूटरचित नियुक्ति पत्र देने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 09.10.2026 को वादी चन्दन सैनी निवासी नगर पंचायत तरबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह ने अपने सहयोगी लल्लन सिंह के माध्यम से सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग तिथियों में कुल ₹75,000/- प्राप्त किए। काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी न लगने पर वादी द्वारा अपनी धनराशि वापस मांगी गई। अभियुक्तगण द्वारा धनराशि वापस करने के बजाय वादी को कूटरचित नियुक्ति पत्र दे दिया गया, जिसके सत्यापन में उसके फर्जी होने की जानकारी हुई। प्राप्त प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-
थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र हुब्बा सिंह निवासी ग्राम मझगवां, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा की संलिप्तता प्रकाश में आने पर आज दिनांक 21.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त
1- सुरेन्द्र सिंह पुत्र हुब्बा सिंह निवासी ग्राम मझगवां, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
1- मु0अ0सं0 315/2026 धारा 318(4), 336(3), 340(2), 352, 351(3), 338 बीएनएस।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 जितेन्द्र पाण्डेय।
2. का0 शिवम पाण्डेय।

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.11.2026
संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील तरबगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 21.11.2026 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में तरबगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्री रमेश रंजन, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर पुलिस, राजस्व व अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।